

अनुक्रम

	7
1. आदिवासी जीवन, दर्शन और संस्कृति श्री हरिराम मीणा	13
2. आदिवासी विमर्श और देशज स्रोत प्रो. माधव हाड़ा	16
3. आदिवासी : व्युत्पत्ति से विमर्श तक डॉ. मनोज पंड्या	22
4. राजस्थान की आदिवासी जातियाँ डॉ. नवीन नंदवाना	35
5. राजस्थान का आदिवासी साहित्य डॉ. जयश्री सेठिया	41
6. राजस्थान का जनजातीय परिदृश्य और सहरिया जनजाति डॉ. संगीता अठवाल	50
7. कथौड़ी जनजाति का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन (उदयपुर जिले के विशेष संदर्भ में) डॉ. पूर्णिमा सिंह एवं डॉ. संध्या पठानिया	56
8. आदिवासी क्रांति के महानायक : बिरसा मुंडा डॉ. अरुण कुमार	62
9. जनजातीय संस्कृति : उभरता पहचान का संकट डॉ. सुमित्रा शर्मा एवं माया सेन	71
10. मालाबार व मेवाड़ अंचल के नृत्यानुष्ठान डॉ. भूमिका द्विवेदी	93
11. आदिवासी लोकनाट्य गवरी नृत्यानुष्ठान के संरक्षण का प्रश्न डॉ. वैशाली देवपुरा	90
12. जनजातीय लोक गीतों में अभिव्यक्त वेदना डॉ. सुरेश सालवी	97
13. मावजी महाराज के साहित्य में रचित कला कृतियाँ डॉ. मनीषा चौबीसा	

राजस्थान का जनजातीय परिदृश्य और सहरिया

जनजाति

डॉ. संगीता अठवाल

संसार के समस्त देशों में आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी से अप्रामाण्य देश के प्राचीनतम निवासियों से है जो कि उन्नति के पथ की ओर अप्रसर नहीं हो पाए और देश की मुख्यधारा से कट गए एवं कालांतर में पिछड़ते ही गए। इन्हें अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इन आदिवासियों की संस्कृति से हमें उस देश की मूल प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के दर्शन होते हैं, जो आज मृतप्रायः हो गई है। इस प्रकार आदिवासी समूहों की अपने देश में विशिष्ट पहचान, संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था है परंतु विकास की मुख्यधारा से कटे होने के कारण से अल्पविकसित रह गए और आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए। आज भी पारचात्य देशों, अफ्रीका एवं अन्य देशों में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति शोचनीय है।

भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजातियाँ निराली छवि प्रदान करती है। भारत में 532 जनजातियाँ निवास करती हैं। जनजातियों को वन्य जाति, आदिवासी, आदिमवासी, आदिम जाति, गिरिजन, कबीली आबादी, एथेटिजिनल आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। युरिये ने इन्हें 'पिछड़े हिन्दू' कहा है। 1931 ई. की जनगणना तक जनजातियों के लिए 'आदिवासी' तथा 'दलित वर्ग' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था किंतु 1941 ई. के पश्चात् इनके लिए जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दों का ही प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। भारत में जनजातियों के व्यक्ति अन्य समुदायों

को तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं। विश्व में जनजातियों के वितरण की अफ्रीका में जनजातियों के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। इसके बाद एशिया आता है। जन्संख्या के वितरण के अनुसार भारत में निवास करने वाले लोगों को भौगोलिक दृष्टि से तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है-

1. **उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र-** इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियाँ कुकी, लुसाई, खासी, गाटो, पूटिया, राँचा आदि हैं।
2. **मध्यवर्ती क्षेत्र-** इस क्षेत्र में संथाल, मुंडा, बैगा, भील, खोंड, कोर, हिलमारिया आदि जनजातियाँ निवास करती हैं।
3. **दक्षिणी क्षेत्र-** इस क्षेत्र में वेंचू, टोडा, बग्गा, पनियाय, कम्ब्य, जनजातियाँ निवास करती हैं।

उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के पूर्वांचल के राज्यों में भी जनजातियाँ निवास करती हैं। इन राज्यों में प्रमुखता से पाई जाने वाली जनजातियाँ बोडो, चयोंतिया, ओराँव, मीणा, मुंडा, हो, नागा आदि हैं। भारत के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली एवं पाँडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में जनजातियाँ निवास करती हैं।

राजस्थान का जनजातीय परिदृश्य

सर्विधान में सर्वप्रथम वर्ष 1952 में अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रदान करने हेतु इनकी सूची जारी की गई। इस सूची को वर्ष 1956 में संशोधन कुछ और जनजातियों को सम्मिलित किया गया। वर्ष 1976 में पुनः जनजातियों की समीक्षा कर वांछित संशोधन किए गए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेश (संशोधित) अधिनियम 1976 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित श्रेणियों के जनजातियाँ निवास करती हैं-

1. भील-गरासिया, भील, डोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, भेक भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, बकल
2. भील-मीणा
3. डामोर, डमरिया
4. धानका, तड़वी, बालवी, तेतीड़िया
5. गरासिया (राजपूत गरासियाओं को छोड़कर)

गुणाई विद्यालय, 2022

6. कशीडी, कलकडी, कोर, कशीडी, कोर कलकडी, सोन कशीडी, सोन कलकडी।
7. कोकना, कोकनी, कूकना
8. कोली डोर, टोकरे कोली, कोचला, कोरभा
9. मीणा
10. नायकडी, नायका, बोलीयाबाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नागा नायका
11. पटेलिया
12. सहरिया, सहरिया, सोरिया।

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के जनजाति क्षेत्र को चार भागों में बाँट सकते हैं-

प्रथम क्षेत्र- इस क्षेत्र में राज्य का दक्षिणी भाग आता है। बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में भील और डामोर निवास करते हैं।

द्वितीय क्षेत्र- इस क्षेत्र में मियोही और पाली जिले आते हैं। इन जिलों में अधिकतरतः गरासिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं।

तृतीय क्षेत्र- इस क्षेत्र में जयपुर, सीकर, अलवर, सवाईमाधोपुर एवं दौसा जिले आते हैं। इन जिलों में अधिकतरतः मीणा जनजाति के लोग पाए जाते हैं।

चतुर्थ क्षेत्र- इस क्षेत्र में टोंक, बूँदी, कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले आते हैं। बारां जिले की शाहवाड़ एवं किरानगंज तहसील में अधिकतरतः सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों में कुछ ऐसे समूह भी निवास करते हैं जो अनुसूचित समुदाय तथा खानाबदोश समूह हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य आदिवासी समूह और निवास करता है जिसे अर्द्ध-खानाबदोश आदिवासी कहते हैं। अनुसूचित समुदाय में बोरी, कंजर, सांसी, चागरी, जट, पाट आदि सम्मिलित हैं। खानाबदोश आदिवासियों में बंजाण, गाड़ोलिया लौहार, कालबेलिया, सिकलीगर एवं कुछ दूसरे समूह सम्मिलित किए गए हैं। अर्द्ध खानाबदोश आदिवासियों में रेवारी, जोगी, मसानी और अन्य समूह आते हैं।

सहरिया जनजाति : एक सांस्कृतिक विश्लेषण

सहरिया जनजाति के लोग मूलतः मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं जो मध्य प्रदेश के गुना जिले की सीमा से लगे हुए बारां (पूर्व कोटा) जिले की शाहवाड़ा जिले के गुना जिले में निवास करते हैं, वहाँ पर सहरियाओं का बाहुल्य है। मध्य प्रदेश का एकमात्र 'आदिम जनजाति समूह' है। सहरिया भारत के मूल निवासी इन्हीं देश के पिन्-पिन् भागों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे- मर सवर, सओरा आदि। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं शब्दों से मूल शब्द 'सहरिया' उत्पत्ति हुई है। सहरिया शब्द का मूल शाब्दिक अर्थ अभी तक अज्ञात है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'शेर' से हुई है जिसका तात्पर्य होता है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इन्हें 'जंगल में निवास करने कारण 'सहरिया' नाम दिया।

सहरिया अपनी उत्पत्ति भीलों से भी मानते हैं और अपने को भील ठकुरा हैं। कर्नल टॉड ने भी सहरियाओं को भीलों का ही एक परिवार माना है। सहरिया उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित किंवदंतियों में यह माना गया है कि इनके प्रपिता करते हुए लिखा है कि सिरोही के समीप एक मंदिर था जिसमें 'आया माता' (इन्की इशानी देवी भी कहा जाता है) की मूर्ति थी। इस मंदिर में अन्य मूर्तियाँ (देवी, अवनी, पृथ्वी आदि थी, जिनकी ये आदिवासी पूजा करते थे। अतः उनका से यह स्पष्ट होता है कि सहरिया काफी प्राचीन समय से ही इस क्षेत्र में निवास रहे हैं। इस प्रकार सहरिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई प्रामाणिक निश्चित अवधि व स्थान विशेष का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल मात्र यह कहा जाता है कि जंगल के निवासी होने के कारण 'शेर' शब्द से इन्हें सहरिया माना गया। अतः सहरिया जनजाति को भारत का आदिम जाति समूह कहा जा सकता है।

सहरियाओं का मध्यकाल के इतिहास में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। टॉड ने अपनी पुस्तक 'एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज' में इनका उल्लेख किया है। सहरिया का मानना है कि सहरिया शाहवाड़ा एवं किशनगंज के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के गुना, शाहवाड़ा, शिवपुरी और गुना में निवास करते थे। सहरिया हमेशा से ही उपेक्षित वर्ग परीणापस्वरूप सहरिया पूर्णतया आदिवासी ही बने रहे एवं अपनी स्थिति को सुधार में असमर्थ रहे।

सहरिया आदिवासी प्रारंभ से ही पृथक रहे हैं परंतु सहरियाओं का पृथक् पहली बार ब्रिटिश युग में टूटा। प्रशासन करने की गरज से सरकार ने इनके कि करने हेतु सड़कें बनवाईं। सहरिया क्षेत्र के सधन वनों की कटाई के कार्य का ठेका

जुलाई-दिसम्बर, 2022

ठेकेदारों को दिया गया, इसके अतिरिक्त छोटे व्यापारी भी इनके क्षेत्र में जाने लगे। परिणामस्वरूप इनका पृथक्करण टूटा और ये विकसित सभ्यता से संबद्ध हुए। यहीं से इन पर विपत्तियाँ भी आनी प्रारंभ हुई और इन्हें शोषण का शिकार होना पड़ा। ब्रिटिश शासकों और देशी शासकों के समय सहरियाओं पर काफी अत्याचार हुए। धीरे-धीरे शोषण के कारण इन्हें अमानवीय जीवनयापन करने को बाध्य होना पड़ा। धीरे-धीरे सहरिया हिंदुओं के पास बसने लगे और उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपना लिया।

सहरिया जनजाति : परंपरागत सामाजिक जीवन

ग्राम संगठन- अन्य आदिवासी समुदायों के समान ही सहरिया गाँव से बाहर या अलग स्थान पर रहना पसंद करते हैं, परंतु इनके गाँव अन्य आदिवासी समुदायों के समान नहीं होते हैं। सहरिया अपनी बस्ती को सहरना कहते हैं। सहरना में अन्य जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। सामान्यतया सहरना में एक ही गोत्र के परिवार निवास करते हैं। सामान्यतया सहरिया गाँव बहिर्विवाही होते हैं। सहरिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समीप के बड़े गाँव, मेलों व हाट से पूरी करते हैं।

घर- सामान्यतया इनके घर कच्चे जो प्रायः मिट्टी व लकड़ी के बनाए जाते हैं तथा गोलाकार रूप में होते हैं जिसमें पशुओं का बाड़ा भी सम्मिलित होता है। सहरना के बीच में एक पंचायत घर बना होता है जिसे 'बंगला' कहते हैं। यह 'बंगला' सहरियों का सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर पंचायत की बैठकें होती हैं एवं सहरिया मिलजुल कर बैठते हैं। अनाज का भंडारण करने हेतु घर में मिट्टी से आकर्षक कोठियाँ बनाई जाती हैं जो इनके घर की सजावट की वस्तु भी कही जा सकती है। दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले सहरिया केवल छप्पर में रहते हैं जिसके चारों ओर दीवारें नहीं होती हैं। इसे ये 'गोपना, केरूआ या पेपा' कहते हैं।

परिवार- भीलों के समान ही सहरियाओं में भी एकाकी परिवार की प्रथा है जिसमें पति-पत्नी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं। पुत्र का विवाह होने पर उसके लिए समीप ही अलग झोपड़ी बना दी जाती है एवं यदि संभव है तो उसे जमीन का एक टुकड़ा भी खेती करने के लिए दे दिया जाता है। इनमें संयुक्त परिवार बहुत कम मिलते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। संपत्ति के बँटवारे में किसी प्रकार का विवाद होने पर मुखिया द्वारा समझौता करवाया जाने की प्रथा है। अन्य समुदायों के समान ही नातेदारी होती है।

भाषा, गौत्र एवं शारीरिक गठन- सहरियाओं की अपनी कोई विशेष भाषा एवं बोली नहीं है। ये हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोलते हैं। कुछ सहरिया मालवी भाषा के मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं। ये बहिर्विवाहित गोत्र के हैं।

सहरियाओं में इसके अतिरिक्त माता व दादी की गौरव में भी विवाह करने इनके कई गाँवों के नाम भी गौरव के आधार पर रखे गए हैं। राजपूतों के बाले सहरिया अपने को राजपूतों का वंशज मानते हैं। जैसे- चौहान और को राजपूतों की गोत्र का मानते हैं। भीलोरिया सहरियाओं के संबंध में है कि ये भीलों से संबंधित हैं। सामान्यतया सहरिया श्याम वर्ण, बुध्दाले गक, उभरे होंट व लंबे कद के होते हैं किंतु विषम आर्थिक स्थिति के वंश पर आकर्षण नहीं होता है।

भोजन, वस्त्र और आभूषण- वर्तमान में सहरियाओं का मुख्य बाजरा एवं गेहूँ है। विवाह के अवसर पर सहरिया अतिथियों को रोटी-बाजरा एवं गेहूँ खिलाते हैं। इस अवसर पर मिठाई नहीं बनाते हैं परन्तु या बाटी-खाटा खिलाते हैं। सहरिया विशेष अवसरों एवं त्योहारों पर लापसी परिवर्तन हो रहा है। सहरिया विशेष अवसरों एवं त्योहारों पर लापसी और अधिक पसंद करते हैं। ये मौसाहारी भी होते हैं परन्तु कुछ सहरिया और नहीं करते हैं और वे अपने आपको ब्राह्मण, बनियों के समकक्ष मानते हैं। पीने का काफी प्रचलन है।

सहरिया पुरुष धोती (जिसे ये पंचा कहते हैं), कमीज, अंगरखी, पहनते हैं। सहरिया सामान्यतया घुटनों तक ऊँची धोती पहनते हैं। सहरिया अवसरों पर पहनने वाली कमीज को 'सलुका' एवं साफे को 'खाण्डा' सहरिया महिलाएँ घाघरा, ओढ़नी एवं ब्लाउज पहनती हैं। महिलाओं के कचकीले रंगों के बने होते हैं। विवाहित महिलाएँ ब्लाउज के ऊपर एक की जेकेट (रेजा) पहनती हैं। यह रेजा इन्हें विवाह के समय ससुराल से है। अविवाहित लड़कियों के लिए रेजा पहनना वर्जित है।

इनके आभूषण सामान्यतया चाँदी, पीतल, रांगा व गिल्ट के बने महिलाएँ माथे पर बोर, गले में खंगारी (हँसली), मूँगों की माला, नाक में कर्णफूल एवं झेला, कोहनी में बरा, हाथ में चूड़ियाँ, हथेली में हथफूल में एल्युमिनियम के कड़े एवं नेवरी, पाँवों की अंगुलियों में अँगूठियाँ ए जोरियाँ पहनती हैं। इसके अतिरिक्त हाथों की अंगुलियों में अँगूठियाँ भी अविवाहित लड़कियों के लिए आभूषण पहनना एवं मेहंदी लगाना बहि आजकल अविवाहित लड़कियाँ भी आकर्षक आधुनिक आभूषण पहन विषवाएँ बिछुरे नहीं पहनती हैं। सहरिया पुरुष कानों में बालियाँ, गले में में कड़ा पहनते हैं। संपन्न सहरिया सोने, चाँदी के आभूषण भी पहनते हैं में पुरुषों के गोदना गुदवाने को अच्छा नहीं माना जाता है। स्त्रियाँ सामा भों व टोड़ी पर आकर्षक गोदने गुदवाना पसंद करती हैं।

व्युत्प
राजस्थ
लगाता
राजस्थ
यहाँ
सम्मि
अवरा
संकट
जनज
और
साथ-
पाते
पी
जंगल
जीव
साथ
परि
कर
चिंत
जिन
संस्
लि

विवाह- सहरिया अन्य आदिवासियों के समान ही अन्तर्विवाही समूह है, परंतु अपनी गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। इनमें बहुपत्नी विवाह की प्रथा है। इनमें विवाह का मुख्य आधार वधू मूल्य होता है। इनके विवाह में ब्राह्मण नहीं बुलाया जाता एवं न ही अग्नि के फेरे लगावाए जाते हैं विवाह हेतु वर-वधू का गठजोड़ा बाँधकर दुल्हन को मंडप में लगे 'खंभ' के पास बैठा दिया जाता है एवं दूल्हा इसके छः फेरे लगाता है एवं अंतिम सातवाँ फेरा दुल्हन द्वारा लगाया जाता है। गाँव का पटेल विवाह में मदद करता है एवं वहीं दुल्हा-दुल्हन को शपथ दिलवाता है। इनमें नाता प्रथा का भी प्रचलन है। विधवा पुनर्विवाह होता है तथा तलाक प्रथा का भी प्रचलन है जिससे 'छुटना' कहा जाता है। तलाक तभी मान्य होता है जब उसका पूर्व पति उसके पिता द्वारा चाही गई राशि अदा कर देता है।

परिवार में स्त्रियों की स्थिति- विवाह हेतु लड़की को अपने इच्छित साथी के चयन की स्वतंत्रता नहीं है। महिला विवाह के पश्चात् किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है परंतु इन सबका मुख्य आधार वधू मूल्य है। तलाक में भी वधू मूल्य चुकाने पर आता है। इस प्रकार सहरिया महिला को स्वतंत्रता है, किंतु उसका मूल्य चुकाने के प्राय होती है। परिवार में महिला का पूर्ण सम्मान किया जाता है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में इसकी सहमति ली जाती है। सहरिया समुदाय में अन्य समुदायों की तुलना में स्थिति को अच्छी नहीं कहा जा सकता है। पुरुषों के आलसी होने के कारण महिलाओं को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अतः सहरिया स्त्री परिवार का आर्थिक स्तंभ होती है। इनमें भी पर्दा प्रथा व्याप्त है। महिला को घर के बुजुर्ग पुरुषों से परदा करना पड़ता है परंतु घर से बाहर परदा करने की परंपरा नहीं है।

अर्थव्यवस्था- प्राचीन समय में सहरिया आदिवासी पृथक्करण के कारण घने जंगलों में निवास करते थे एवं वन ही इनकी जीविका का एक मात्र साधन थे। वनों से सहरिया लघु वन उपज यथा- लकड़ी, गोंद, कल्था, शहद, लाख, आँवला, मूसली, तेंदू पत्ता आदि एकत्र करते थे। बदलते हुए परिवेश में सहरियाओं ने वनों के साथ-साथ कृषि को भी अपनाया। पहले ये लोग झूम कृषि करते थे वर्तमान में कृषि को इनका मुख्य व्यवसाय एवं वन उपज संग्रह को पूरक साधन माना जा सकता है। आधुनिक समय में इनमें से कुछ लोग सरकारी नौकरियाँ भी कर रहे हैं।

परंपरागत जाति पंचायत- सहरियाओं में 'सहरना' के आधार पर पंचायत का गठन किया जाता है। इसका प्रमुख पटेल कहलाता है जो वंशानुगत होता है। सहरिया पंचायत के तीन स्वरूप हैं- 1. पंचताई- यह पंचायत सहरना स्तर पर होती है एवं इसका प्रमुख सहरना का पटेल होता है। 2. एकादसिया पंच- यह ग्यारह सहरनाओं की एक सम्मिलित पंचायत होती है। इसमें सभी सहरनाओं के पटेल सम्मिलित होते हैं

एवं सामान्य सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। 3. चौरसिया पंच- इस पंचायत में सहमति के पंच (पटेल) सम्मिलित होते हैं। अतः यह पंचायत सहमति के सर्वोच्च संगठन है। यह पंचायत विशेष मामलों के निर्णय हेतु बुलाई जाती है। निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं।

नृत्य, संगीत, उत्सव, त्योहार और मेले- अन्य आदिवासी समुदायों के ही सहरिया भी उत्सवों पर नाचते और गाते हैं। ये विशेष अवसरों, विवाह एवं त्योहारों पर नृत्य करते हैं एवं गीत गाते हैं। सहरियाओं में स्त्री-पुरुष समूह में एक साथ नाचते हैं। सामान्य दिनों में सहरिया भजन, कीर्तन व रागिनी गाते हैं। होली के अवसर पर 'फाग' गाया जाता है एवं घर-घर जाकर 'राई नृत्य' करने की प्रथा है। शीत के अवसर पर भीलों की तरह इनमें भी 'हीड़ा' गाने की प्रथा है। इनके प्रमुख त्योहारों में होली, लंगड़िया, झाँझ और मजीरा है। विवाह के अवसर पर तुम्ही बजाई जाती है। ये हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सभी उत्सव एवं त्योहार मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, होली, मकर संक्रांति आदि मनाते हैं एवं इन अवसरों पर विशेष भोजन बनाया जाता है। दीपावली पर सारे अपने पशुओं की पूजा करते हैं विशेषकर गाय की। होली का पर्व ये एक महत्वपूर्ण मनाते हैं। सहरिया संभाग में होने वाले अधिकांश मेलों में भाग लेते हैं। इस क्षेत्र लगने वाला सीताबाड़ी एवं तेजाजी का मेला इनमें बहुत लोकप्रिय है। सहरिया क्षेत्र से कई बार अपने जीवन साथी का भी चयन कर लेते हैं।

धर्म- सहरिया हिन्दू धर्म को मानते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएँ, पूजा-पूजा वैवाहिक रस्में एवं विविध संस्कार हिंदुओं के समान हैं। इनके आराध्य देव गणेश, राम, हनुमान, दुर्गा, काली, भैरव, लक्ष्मी आदि देवी-देवता हैं। ये तेजाजी पूजा भी करते हैं। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार शत-प्रतिशत सहरिया मतावलंबी हैं। सहरिया अपने घर या गाँव के पास जिंद को प्रसन्न करने के चबूतरा बनाते हैं। देवी-देवताओं की पूजा सहरिया, हिंदुओं के समान ही शिव, गणेश, नारियल, अमरबती आदि सामग्रियों से करते हैं। ये अपने घर के एक कोने मिट्टी का एक चबूतरा बनाते हैं। इस चबूतरे पर सफेद रंग किया जाता है, इस पर पशुचाल सिंदूर से त्रिशूल बनाते हैं एवं चबूतरे पर ग्यारह बिंदिया लगाते हैं। इस पर सहरिया अपने हथियार भी रखते हैं। पूजा हेतु अनाज के दाने रखे जाते हैं अमरबती जलाई जाती है। कुछ सहरिया इस चबूतरे पर देवी-देवताओं की तस्वीरें रखते हैं। इस प्रकार सहरिया अपने घर में ही सामान्य पूजा-स्थल बनाते हैं। नियमित रूप से पूजा करने के अभ्यस्त नहीं हैं तथा विपत्ति के समय ही पूजा करते हैं। इनकी धर्म में पूर्ण आस्था है।

जुलाई-दिसम्बर, 2022

सहरिया जनजाति के पृथक्करण के कारण, इसका संबंध राजनीति से नहीं रहा एवं ये सदैव अलग-थलग रहे, परिणामस्वरूप ये आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन व शोषित रहे। इनके आर्थिक शोषण के विरुद्ध सर्वप्रथम माणिक्यलाल वर्मा का ध्यान उठाई और इस आदिवासी समूह की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वर्माजी ने इस समुदाय को संगठित करने हेतु 'भील सेवा मंडल' एवं 'शेर बहादुर पंचायत' की स्थापना की। सहरियाओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु वर्माजी ने शाहबाद में सरदार पटेल छात्रावास की भी स्थापना की। 1966 में इन्होंने भूमि छुड़ाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सरकार द्वारा कई गिरफ्तारियाँ की गई एवं सहरियाओं पर मुकदमे भी चलाए गए। परंतु इनके विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस राज्य में प्रवासी होने के कारण सरकार ने इन्हें घट्टा-घट्टी प्रोजेक्ट में बसाया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1950 में बंगाली शरणार्थियों को बसाने हेतु कोटा जिले की किशनगंज तहसील के भंवरगढ़ गाँव से 6 मील दूर परानिया, गोवर्धनपुरा तथा घट्टी गाँवों में 600 आवास बनाए गए। यह परियोजना घट्टा-घट्टी प्रोजेक्ट से कहलाती है। वर्ष 1961 में समाज कल्याण विभाग ने इन मकानों को भारत सरकार से खरीदकर सहरिया परिवारों को बसाया एवं प्रत्येक परिवार को 2.8 एकड़ भूमि भी दी गई। इस प्रकार कुल 884 सहरिया परिवारों के पुनर्वास को व्यवस्था की गई।

सहरियाओं की ओर अनुसूचित जनजाति आयोग ने विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए इन्हें 'अत्यन्त अल्प विकसित स्थिति' वाली जनजातियों की सूची में रखा। इसी कारण सहरियों के विकास एवं पुनर्वास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आज भी इनके विकास के लिए अलग से सहरिया विकास परियोजना चल रही है। यह वर्ष 1977-78 से प्रारंभ की गई है एवं इसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, परंतु आज भी सहरियाओं की आर्थिक स्थिति काफी विषम है एवं इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रकाश चंद्र मेहता : भारत के आदिवासी, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर, 1993
2. शम्भूलाल दोषी एवं नरेंद्र एन. व्यास : राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ, हिमांशु पब्लिकेशंस, उदयपुर, 1992
3. देव प्रकाश : जातिगत समाजशास्त्र, ओनेग पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2016

